पत्रांक– 2प / वि0–17–164 / 2022 / 4457 पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला शस्त्र पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 18/5/2022

विषयः– **त्रिस्तरीय पंचायत जन प्रतिनिधियों को शस्त्र का लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **गृह विभाग का पत्रांक–2454 दिनांक 10.03.2022**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत जन प्रतिनिधियों से शस्त्र का लाईसेंस निर्गत करने हेतु बड़े पैमाने पर अभ्यावेदन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा कर शस्त्र लाईसेंस संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों को निस्तारित किया जाय। इस कार्य हेतु सभी जिलों में विशेष शिविर आयोजित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/5/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः–2प / वि0–17–164 / 2022 / 4457 / पं0रा0 पटना,दिनांकः 18 / 5 / 2022

प्रतिलिपिः–सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि विषयगत मामले में अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

18/5/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक